

छावनी परिषद, मथुरा CANTONMENT BOARD, MATHURA

Old Sister Mess Road, Near Regimental Bazar, Mathura Cantt-281001 (U.P.)

पत्रांक : छा.प.म./आर.टी.आई-05/542/292

दिनांक: 11 जून, 2018

श्रीमती मंजू सिंह पत्नी श्री धूवराज सिंह
निवासी ए-36, मोतीकुंज एक्स0
मथुरा।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने के सम्बन्ध में।

यह आपके आवेदन दिनांक 17.05.2018 (जोकि 19.05.2018 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ) सूचना की मांग के अनुरोध के प्रसंग में है।

2. उपरोक्त संदर्भित आवेदन में मांगी गयी सूचना का विवरण निम्न प्रकार है:-

बिन्दु 1 - इस बिन्दु में मांगी गयी जानकारी उक्त अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार जन सूचना अधिकारी केवल रिकार्ड में एक सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है।

बिन्दु 2 - माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.05.2015 (रिट पिटिशन सं0 28569) के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र सं0 सी.बी.एम./बी.पी./ए-36/मोतीकुंज एक्स0/289 दिनांक 26.08.2015 के द्वारा उक्त पिटिशन को डिस्पोज करने हेतु आपके भवन के सेप्टिक टैंक के ओवरफ्लो को अण्डरग्राउण्ड ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम में जोड़ने हेतु आदेश जारी किये गये।

बिन्दु 3 - इस बिन्दु में मांगे गये दस्तावेज की छायाप्रति कार्यालय में निर्धारित शुल्क रू0 2.00 प्रति पृष्ठ की दर से कुल 6 पृष्ठों के रू0 12.00 जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

3. उपरोक्त सन्दर्भ में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपील, यदि कोई है, इसकी प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय के अपीलीय अधिकारी श्री नीरज जैन, मुख्य अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

देवेन्द्र सिंह
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
छावनी परिषद, मथुरा।

29/06/18
05-31-31

05/18